

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राज०)

अपील संख्या:- 12/125/2021

दायर तिथि: 02.08.2021

रजि० न० 2021/231

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-


रंगलाल मीना पुत्र श्री गिरधारी लाल लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सक्षम मीना, निवासी ग्राम कचावा, पोस्ट प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं टोडानगर तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला उपखण्ड अधिकारी नीमराना, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 07.09.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 31.08.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक प12-1(12)राजस्व/2018 /भूमि अवाप्ति/15833 दिनांक 19.08.2021 के माध्यम से अवगत कराते हुए लिखा है कि वांछित सूचना हेतु पूर्व में ही जरिये पत्र कमांक प.12-1(12)राजस्व/2018/भूमि अवाप्ति/14242 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा सूचित किया जाकर कार्यलय समय में उपस्थित होकर पत्रावली पर उपलब्ध कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों को निरीक्षण कर वांछित सूचना को इंगित कर आर.टी.आई. एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त करने हेतु लिखा गया था किन्तु अपीलार्थी कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड का अवलोकन के लिए उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अपीलार्थी द्वारा सुस्पष्ट कौन-कौन से रिकॉर्ड की प्रतिलिपि चाहिए अंकित किया है। साथ ही अवगत कराया है कि कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड की नकल अपीलार्थी चाहता है तो कौन सा रिकॉर्ड किस दिनांक का संधारित है का पूर्ण विवरण सहित अवगत करावे ताकि कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड की प्रति आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा सके।
5. प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर किया गया विनिश्चय उचित है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है।
7. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर